न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

रामावतार जोगानी (फौत)।

1 भगवती देवी पत्नी रामावतार जोगानी।

2 मधुमति पुत्री रामावतार जोगानी।

3 मधुसूदन पुत्र रामावतार जोगानी।

4 मनोज पुत्र रामावतार जोगानी।

5 महेश पुत्र रामावतार जोगानी।

6 महेन्द्र पुत्र रामावतार जोगानी समस्त जाति महाजन जोगानी निवासीगण वार्ड नम्बर 24 पोलो ग्राउण्ड, सीकर तहसील व जिला सीकर स्वयं व जिरिये मुख्तयार मधुसूदन पुत्र रामावतार जोगानी जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 24 पोलो ग्राउण्ड सीकर जिला सीकर (राज0)।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर।

2 गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति सैनी निवासी चन्दपुरा हाल अशोक विहार होटल गोल्डन पैलेश के पीछे जाव में सीकर जिला सीकर।

3 प्रभूदत्त पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 सीकर हाल शिवम जनरल स्टोर चन्दपुरा बीकानेर जयपुर बाईपास पर जाव में सीकर जिला सीकर।

Web Copy - Not Official

4 मुरलीधर पुत्र देबूराम जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल वार्ड नम्बर 22 रामलीला मैदान के पीछे सीकर जिला सीकर।

5 सुरजाराम (मृतक)।

5/1 सोहनी देवी पत्नी सुरजाराम सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल वार्ड नम्बर 21 रामपुरा रोड़ धर्माणा बगीची के आगे सीकर जाव सुरजाराम बागवान का दुर्गा कॉलोनी के पास, सीकर जिला सीकर।

5/2 भंवरी पुत्री सुरजाराम पत्नी सीताराम पुत्र सुण्डाराम सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल मिश्रा जी का चौराहा चैलासी रोड़ रामरा की ढ़ाणी पर मु. पो. नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

5/3 भगवानी पुत्री सुरजाराम सैनी पत्नी सुरजाराम माली निवासी वार्ड नम्बर 14 धर्माणा बगीची के पास, सीकर हाल उदयलाल की ढ़ाणी चैनपुरा दादली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत आदेश दिनांक 04.06.2016 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर अन्तर्गत आदेश 47, नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित

1. श्री प्रदीप जोशी अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—27.08.18

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय द्वारा आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट रामावतार ने विद्वान जिला कलेक्टर सीकर को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 1631 गै0मु0 रास्ता कस्बा सीकर में अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्व किया गया है तथा पक्का निर्माण भी रास्ते में किया जा रहा है। जिसे तुरन्त हटवाया जावे। इस प्रार्थना पत्र को जिला कलेक्टर सीकर ने तहसीलदार सीकर को वास्ते जांच करने हेतु भिजवाया। जिस पर तहसीलदार ने मौके की जांच की तो पाया कि शिकायतकर्ता रामावतार जोगानी के पत्थर ही रास्ते में पाये गये जिनको हटाने का आदेश विद्वान तहसीलदार सीकर ने दिनांक 03.01.1992 को जारी किया इस आदेश के विरूद्व विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने बाद सुनवाई अपील खारिज की। जिसके विरूद्व अपीलांट रामावतार ने अदालत हाजा में अपील पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये अपीलांट की अपील को दिनांक 21.04.2000 को खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी/रामावतार ने प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन का पेश किया जिसे अदालत हाजा ने दिनांक 23.05.2000 को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट रामावतार ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जिसे माननीय राजस्व मण्डल अनमेर ने स्वीकार कर अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 23.05.2000 खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड किया तथा निर्देश दिये कि दोनों पक्षों को सुनकर मैरिट पर स्पष्ट एवं विस्तृत निर्णय पारित करें। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुनकर इस न्यायालय द्वारा 04.06.2018 को रिव्यु आवेदन खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Lavio
भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना नही कि गई है। इस न्यायालय द्वारा केवल धारा 5 मियाद अधिनियम पर विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है गुणागुण पर कोई विवेचन नही किया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्को तथा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का उल्लेख तो अवशेय किया गया है। परन्तु निर्णय में विवेचन नही किया गया है। अत प्रकरण की पुन सुनवाई कर गुणागुण पर निर्णय करने तथा मूल अपील में चाही गई सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं इस न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया है। इस न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिव्यु आवेदन मियाद के बिन्दु पर विवेचन कर खारिज नही किया गया है अपितु गुणागुण पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों की पूर्ण पालना की गई है। हम इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

आवेदनकर्ता द्वारा रिव्यु आवेदन में इस न्यायालय द्वारा विवेचित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नया बिन्दु इस आवेदन में अंकित नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यु आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर